



वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17



राजस्थान राज्य सूचना आयोग
ओ.टी.एस. के पास, झालाना लिंक रोड, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
www.ric.rajasthan.gov.in



The Logo of Right to Information

A sheet of paper with information on it and the public authority behind it, providing the information. This represents people's empowerment through transparency and accountability in governance.



वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2016-17



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ.टी.एस. के पास, झालाना लिंक रोड, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
www.ric.rajasthan.gov.in

विषय सूची

अध्याय संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	1–2
2.	राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढांचा, बजट एवं अन्य सूचनाएं	3–15
3.	अधिनियम का क्रियान्वयन	16–18
4.	संप्रेषण	19–21
5.	परिशिष्ट –1	22–26

अध्याय – 1

प्रस्तावना

सूचना के अधिकार को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन हेतु अत्यन्त प्रासंगिक व आवश्यक माना गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मूल प्रस्तावना में ही कहा गया है कि ‘सूचित नागरिकता’ व ‘सूचना की पारदर्शिता’ प्रभावी लोकतंत्र हेतु इसलिए अपेक्षित है क्योंकि इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार को मिटाते हुए अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संचालित हो सकेंगे। प्रस्तावना में यह भी बताया गया है कि वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटीकरण को लेकर सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुँचने का जो अर्थ है, उसे लेकर इस अधिनियम के माध्यम से, उसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में परिवर्तित किया जा सकेगा तथा यही वातावरण आगे जाकर प्रशासन को अपेक्षाकृत कुशल कार्य करने, सीमित राजस्व संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करने तथा संवेदनशील सूचना का परीक्षण कर उचित निष्कर्ष निकालने में अधिक कारगर सिद्ध होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अधिनियम को प्रशासन के ताले की चाबी माना है।

शासन में जन–जन की भागीदारी सफल लोकतंत्र का मूलमंत्र है। जन सहभागिता एक ओर जहाँ शासन की गुणवत्ता में वृद्धि करती है, वहीं उसके दैनन्दिन कार्यकलापों में पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देती है। प्रश्न यह है कि जन सहभागिता हो कैसे? साधारण जनता कैसे समझे कि सरकार उनका पैसा कैसे खर्च कर रही है, सार्वजनिक योजनाएँ कैसे चलाई जा रही हैं, सरकारी फैसले ईमानदारी व निष्पक्षता से किये गये हैं अथवा नहीं? इसलिए आवश्यक है कि सभी नागरिकों को सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार हो। अधिनियम से यह मान्यता सरकार द्वारा प्रतिबद्धित हुई कि भारत जैसे लोकतंत्र में सभी कार्य कलाप एवं लेखा–जोखा की पारदर्शिता नागरिकों के लिए वैधानिक व्यवस्था बन गई है। अतः आम जनता को सूचना उपलब्ध कराना एक सामान्य कार्य है। हाल के वर्षों में सूचना के अधिकार को सरकारी, गैर सरकारी संगठनों व आम जनता द्वारा मान्यता देने की दिशा में एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति बनी है। नागरिकों को सार्वजनिक नीतियों तथा सरकारी एजेन्सियों द्वारा उनके क्रियान्वयन सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने से समाज सशक्त हुआ है।

भारत में सरकारी संस्थाओं के कामकाज में गोपनीयता प्रभावी तौर पर व्याप्त रही है। इस अधिनियम के बनने से दिशा/भावना एवं मानसिकता में परिवर्तन हुआ है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 में सूचना को सार्वजनिक करना एक दण्डनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया था उसे सूचना के अधिकार अधिनियम ने निष्प्रभावी कर दिया है। पूर्व में सूचना उपलब्ध कराना एक

अपवाद होकर सम्बन्धित अधिकारियों की इच्छाओं पर निर्भर था। इस अधिनियम के उपरान्त आम नागरिकों को शासन व विकास सम्बन्धी विषयों पर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। सूचनाओं तक पहुँच के कारण नीति निर्माण प्रक्रिया को उजागर करने में मदद मिल रही है जिससे भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में नवजीवन का संचार हुआ है।

सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक से अभियान चलाया जा रहा था। वर्ष 2004 में केन्द्र सरकार ने सूचना के अधिकार को अधिक “प्रगतिशील सहभागिता आधारित और सार्थक” बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जिसमें राष्ट्रीय सूचना अधिकार जन अभियान के मुख्य समर्थकों को शामिल किया गया। उनकी प्रस्तुतियों के आधार पर अगस्त, 2004 में सूचना स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधन की सिफारिशें सरकार को सौंपी गईं। इसी वर्ष संसद में सूचना अधिकार विधेयक पेश हुआ। 12 मई, 2005 को संसद द्वारा पारित होकर दिनांक 15 जून, 2005 को इसे महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अधिनियम की धाराएँ 4(1), 5(1)(2) तथा 12,13,15,16,24,27 व 28 अविलम्ब प्रभाव में आ गई जबकि शेष धाराएँ 12 अक्टूबर, 2005 से देश भर में प्रभावी हुईं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केन्द्र सरकार, सभी राज्य सरकारों (जम्मू कश्मीर को छोड़कर), स्थानीय शहरी निकायों, पंचायती-राज संस्थाओं तथा उन सभी निकायों पर, जो सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा स्थापित, गठित, नियंत्रित अथवा वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन हैं, लागू हो गया है। कतिपय न्यूनतम अपवादों के साथ सूचना प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रावधान किए गए हैं। जिन सूचनाओं को उपलब्ध कराये जाने से जनहित को नुकसान पहुँच सकता है उन सूचनाओं को देने से मुक्त रखा गया है। सूचना का अधिकार एक मूलभूत व संवैधानिक अधिकार बन गया है जिसे इस अधिनियम ने विधिक रूप से प्रभावी बनाया है।

अध्याय – 2


राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढाँचा, बजट व अन्य सूचनाएं

(अ) गठन :-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व आवश्यकतानुसार (अधिकतम दस) राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.2006 को किया जाकर राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। राज्य के प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री एम.डी. कौरानी को दिनांक 18.04.2006 को महामहिम राज्यपाल ने पद की शपथ दिलाई। दिनांक 01.09.2010 को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री टी. श्रीनिवासन को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा शपथ दिलाई गई। श्री एम.डी. कौरानी का कार्यकाल दिनांक 17.04.2011 को पूर्ण हुआ। तत्पश्चात् द्वितीय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री टी० श्रीनिवासन को दिनांक 05.09.2011 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने दिनांक 10.10.2014 को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। द्वितीय मुख्य सूचना आयुक्त श्री टी. श्रीनिवासन का कार्यकाल दिनांक 13.08.2015 को पूर्ण होने के पश्चात् तृतीय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री सुरेश चौधरी तथा राज्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री चन्द्रमोहन मीना एवं श्री आशुतोष शर्मा को दिनांक 06.11.2015 को राज्यपाल महोदय द्वारा शपथ दिलाई गई। डॉ. पी.एल. अग्रवाल का कार्यकाल दिनांक 04.08.2016 को पूर्ण हुआ। आयोग एक वैधानिक निकाय है जो पूर्णतया स्वायत्तशासी है तथा जिसे अपने कार्यों के निष्पादन में किसी अन्य प्राधिकारी से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय जयपुर में है।

(ब) संगठनात्मक ढाँचा:-

राजस्थान राज्य सूचना आयोग



(स) आयोग के कार्य व शक्तियाँ :-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18, 19 एवं 20 में सूचना आयोग के कृत्य एवं शक्तियों का वर्णन है। आयोग नागरिकों से प्राप्त परिवादों की जाँच कर उनको निष्पादित करने, अपील में बतौर अपील अधिकारी निर्णय देने, दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के साथ—साथ अधिनियम की कुशल क्रियान्विति के लिए लोक प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। आयोग के द्वारा अपील / परिवाद पर दिये निर्देश बाध्यकारी हैं। आयोग अधिनियम के क्रियान्वयन का वार्षिक प्रतिवेदन भी राज्य सरकार को प्रेषित करता है जिसे राज्य सरकार विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करती है।

राज्य सूचना आयोग में निहित शक्तियों का वर्णन निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है :-

(1) परिवाद संबंधी शक्तियाँ:- आयोग के समक्ष नागरिक निम्नलिखित बिन्दुओं पर परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं—

- (क) राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण वह आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका है या सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उसके सूचना के आवेदन को लेने से इंकार कर दिया है।
- (ख) राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उसे आवेदित सूचना देने से इंकार कर दिया है।
- (ग) राज्य लोक सूचना अधिकारी से आवेदित सूचना के बारे में निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
- (घ) राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उससे मांगा जा रहा शुल्क तर्क संगत नहीं है।
- (ङ) राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना अधूरी, भ्रामक या मिथ्या लगती है।
- (च) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अभिलेखों के लिये अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग को जहां यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिये युक्तियुक्त आधार है, वहाँ वह उसके संबंध में जांच आरम्भ कर सकेगा।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग में परिवाद की जांच करते समय दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ निहित होने के कारण सुनवाई प्रक्रिया के दौरान निम्न कार्यवाही करने में सक्षम है :—

- (क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित करना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या अन्य चीजें पेश करने के लिये उनको विवश करना;
- (ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना;

- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना;
- (ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिये समन जारी करना; और
- (च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग किसी परिवाद की जाँच में लोक प्राधिकरण के नियन्त्रण वाले समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर सकता है। किसी भी आधार पर कोई अभिलेख छिपाया नहीं जा सकता, चाहे वह प्रकटीकरण से दी गई छूट की श्रेणी में ही सम्मिलित क्यों न हो।

(2) अपीलीय शक्तियाँ :—

अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील प्राधिकारी के द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील सुनने का अधिकार धारा 19(3) के अंतर्गत राजस्थान राज्य सूचना आयोग को प्राप्त है।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रथम अपील के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में विनिश्चय प्राप्त किया गया था या निर्धारित समयावधि में विनिश्चय नहीं होने अथवा विनिश्चय से असंतुष्टि की स्थिति में, 90 दिवस के भीतर की जा सकती है। इस अवधि के गुजरने के बाद भी यदि सूचना आयोग अपीलार्थी के द्वारा बताये गये विलम्ब के कारण से संतुष्ट है तो अपील सुनवाई हेतु दर्ज की जा सकती है।

अपील में सुनवाई की कार्यवाही के दौरान जिस लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई की जा रही है आवेदन की अस्वीकृति के औचित्य के प्रमाणीकरण का भार संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी का होगा।

धारा 19(7) के तहत सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा।

(3) शास्ति अधिरोपण की शक्तियाँ :—

परिवादों की जाँच के बाद निष्पादन तथा अपील में दिये निर्णय के अन्तर्गत सूचना आयोग को शास्तियाँ अधिरोपित करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अपील का निर्णय करते समय यदि संबंधित सूचना आयोग की यह धारणा बनती है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना समुचित कारण –

- (क) सूचना आवेदन लेने से मना कर दिया है, या
- (ख) निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, या
- (ग) सूचना आवेदन को असद्भावनापूर्वक अस्वीकार कर दिया है, या
- (घ) जान-बूझकर अशुद्ध, अधूरी या भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई है, या
- (ङ) सूचना आवेदन की विषय-वस्तु को नष्ट कर दिया है, या
- (च) सूचना उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा डाली है,

तो वह उस पर आवेदन प्राप्ति से सूचना उपलब्ध कराने तक रुपये 250/- प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकता है जो अधिकतम रुपये 25000/- हो सकती है।

शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व आयोग राज्य लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

इसके अतिरिक्त राज्य लोक सूचना अधिकारी पर यह साबित करने का भार होगा कि उसने सूचना उपलब्ध कराने के लिये विवेक एवं परिश्रम से कार्य किया था।

जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय आयोग की यह राय है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी किसी युक्तियुक्त कारण के बिना लगातार सूचना के लिये कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावनापूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के लिये सिफारिश करेगा।

(4) अधिनियम की क्रियान्विति को सुनिश्चित करना :—

अधिनियम की धारा 19(8) के अन्तर्गत अपील का निर्णय करते समय राज्य सूचना आयोग अधिनियम की क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु लोक प्राधिकरण को निम्न निर्देश दे सकता है :—

- (1) सूचना उपलब्ध करवाने बाबत;
- (2) राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में;
- (3) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करवाने के संबंध में;
- (4) अभिलेखों के प्रबन्धन, संधारण, नष्टीकरण की प्रयुक्ति प्रथाओं में यथासम्भव परिवर्तन करवाने के संबंध में;
- (5) लोक प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये सूचना के अधिकार की प्रशिक्षण व्यवस्था करवाने के संबंध में;
- (6) अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में अपना एक वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में;
- (7) राज्य सूचना आयोग, अपीलार्थी को हुई हानि या क्षति की पूर्ति लोक प्राधिकारी से करवाने के निर्देश जारी कर सकता है;
- (8) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित कर सकता है;
- (9) आवेदन को नामंजूर कर सकता है।

अधिनियम की धारा 25(1) के अन्तर्गत आयोग को अधिनियम के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण का अधिकार प्राप्त है। आयोग द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रतिवेदन राज्य

सरकार को प्रस्तुत किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। प्रतिवेदन में सामान्यतः निम्न बिन्दुओं पर सूचना प्रस्तुत की जाती है:—

- (1) प्रत्येक लोक प्राधिकरण के द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या
- (2) निरस्त किये आवेदनों की संख्या
- (3) अपीलों की संख्या एवं उनके परिणाम
- (4) एकत्रित शुल्क की धन राशि
- (5) अधिनियम की भावना या आशय के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिये लोक प्राधिकरण द्वारा किये गये प्रयत्नों का विवरण
- (6) सुधार के लिये सुझाव

यदि किसी लोक प्राधिकरण के द्वारा अधिनियम में प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन करते समय कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो अधिनियम के प्रावधानों या भावना से सुसंगत नहीं है तो वह अधिनियम की धारा 25(5) के तहत प्राधिकरण को ऐसे कदम उठाने की अभिशंषा कर सकता है जो उसकी दृष्टि में उन्हे सुसंगत बनाने में सहयोग करें।

(5) बजट :—

आयोग को वर्ष 2016–17 के लिए राशि ₹0 307.00 लाख “ग्रान्ट इन एड” के रूप में आवंटित की गई है। जिसके विरुद्ध राशि ₹0 277.50 लाख का व्यय हुआ है।

(6) कार्यालय :—

आयोग का कार्यालय आयोग के गठन से अक्टूबर, 06 तक योजना भवन में एवं नवम्बर, 06 से हरिशचन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (HCM RIPA) में था। दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 से वित्त भवन, जनपथ में संचालित हुआ तत्पश्चात् हरिशचन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (HCM RIPA) परिसर में आयोग को आवंटित भूमि (2500 वर्ग मीटर) पर नवीन कार्यालय भवन निर्माण एवं फर्नीचर हेतु राशि 5.60 करोड़ की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हुई। निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नवीन भवन का लोकार्पण दिनांक 19.4.2013 को किया गया तत्पश्चात् दिनांक 19.06.2013 से आयोग का कार्यालय यहां संचालित हो रहा है।

(7) नियमावली :—

राजस्थान सूचना आयोग के न्यायिक कार्यों के प्रबन्धन के लिये राजस्थान सूचना आयोग (प्रबन्ध) विनियम 2007 बनाये गये हैं।


(8) क्रियान्विति :—

राज्य सूचना आयोग ने अपनी ओर से भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धाराएं 18, 19, 20 व धारा 25 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की है व आवश्यक कदम उठाये हैं। राजस्थान में आयोग की स्थापना से लगभग ग्यारह वर्ष की इस अवधि में पूरे राज्य में लोक प्राधिकरणों को अधिनियम की भावना के अनुरूप जाग्रत व तदनुरूप कार्य करवाने में सफलता प्राप्त हुई एवं उसके कार्यकलापों व उसके प्रभावी अस्तित्व की वस्तुस्थिति को जन-जन तक पहुँचाया। इसी प्रभावशाली प्रचार-प्रसार का ही परिणाम रहा कि आज पूरे राज्य में इस अधिनियम के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के समक्ष 31 मार्च, 2016 को 168 परिवाद एवं 13570 द्वितीय अपीलें लम्बित थीं।


वर्ष 2016–2017 में “सूचना के अधिकार” को लेकर आयोग के समुख प्रस्तुत परिवादों व अपीलों की वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :—

परिवादों की मासिक प्रगति का विवरण

माह	माह के दौरान दर्ज परिवादों की संख्या	माह के दौरान निस्तारित परिवादों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष परिवादों की संख्या
अप्रैल, 2016	55	36	187
मई, 2016	57	23	221
जून, 2016	47	27	241
जुलाई, 2016	52	5	288
अगस्त, 2016	56	41	303
सितम्बर, 2016	54	49	308
अक्टूबर, 2016	54	43	319
नवम्बर, 2016	62	52	329
दिसम्बर, 2016	78	51	356
जनवरी, 2017	11	32	335
फरवरी, 2017	3	85	253
मार्च, 2017	154	80	327
योग	683	524	




परिवादों की प्रगति



लम्बित परिवादों का विवरण


अपीलों की मासिक प्रगति का विवरण

माह	माह के दौरान प्राप्त अपीलों की संख्या	माह के दौरान निस्तारित अपीलों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष अपीलों की संख्या
अप्रैल, 2016	516	1006	13080
मई, 2016	410	1427	12063
जून, 2016	228	1357	10934
जुलाई, 2016	367	1170	10131
अगस्त, 2016	492	1443	9180
सितम्बर, 2016	1	1011	8190
अक्टूबर, 2016	484	925	7729
नवम्बर, 2016	322	915	7136
दिसम्बर, 2016	899	1064	6971
जनवरी, 2017	1115	1056	7030
फरवरी, 2017	1188	1066	7152
मार्च, 2017	1015	1099	7068
योग	7037	13539	



■ प्राप्ति ■ निस्तारण

अपीलों की प्रगति



लम्बित अपीलों का विवरण

(9) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) में प्रदत्त प्रथम अपीलीय आदेश पर देय सूचना प्रदान कराने के लिये अभिनव प्रयोग :—

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत संस्थित प्रथम अपीलों के निर्धारित अवधि में निर्णय न होने अथवा निर्णयों से संतुष्ट न होने पर या उसकी पालना न होने पर धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील या धारा 18(1) के तहत परिवाद आयोग में प्रस्तुत होते हैं।

(10) लोक सूचना अधिकारी :— पदनामित व प्रशिक्षण

राज्य के सभी प्रशासनिक विभागों को अपने—अपने लोक सूचना अधिकारियों व अपील प्राधिकारियों को पदनामित करने के निर्देश दिये गये। अधिकांश: विभागों/कार्यालयों ने अपने यहाँ राज्य लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपील प्राधिकारी की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये हैं।

“सूचना के अधिकार” कानून के विषय को प्रशिक्षण का भाग बनाया है। प्रशिक्षण के मुख्य केन्द्र एच.सी.एम.रीपा, (H.C.M. RIPA) इन्दिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (RICEM) व अन्य संस्थाएँ हैं, जो विकेन्द्रीकृत रूप से भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में नेशनल फैडरेशन ऑफ इनफॉर्मेशन कमीशन इन इण्डिया, नई दिल्ली के द्वारा 4.00 लाख का बजट प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कराया गया। हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के सहयोग से कुल 8 आमुखीकरण कार्यशाला/प्रशिक्षण जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा व उदयपुर अवस्थित प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित किये गये हैं। इन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में 276 प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुए।

(11). शास्ति एवं क्षतिपूर्ति

आयोग द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अधिनियम की भावना के अनुरूप कार्यवाही न करने पर आलोच्य वर्ष 2016–2017 में अधिरोपित शास्ति, लगाई गई क्षतिपूर्ति एवं इसके विरुद्ध जमा राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

विवरण	शास्ति (रुपयों में)		क्षतिपूर्ति (रुपयों में)	
	अधिरोपित	जमा राशि	लगाई गई	भुगतान किया गया
1	2	3	4	5
अपील / परिवाद	43,21,250	5,13,500	47,000	2,000

शास्ति की प्रभावी वसूली एवं क्षतिपूर्ति के भुगतान कराने हेतु किये जाने वाले प्रयास :—

सूचना आयोग के निर्णयानुसार अधिरोपित शास्ति राशि आयोग में जमा कराने एवं क्षतिपूर्ति राशि का अपीलार्थी को भुगतान करने हेतु विभागों को कई स्मरण पत्र प्रेषित करने के बाद भी राशि जमा नहीं कराई जाती है। अतः उक्त अधिरोपित राशि को आयोग में जमा कराने तथा क्षतिपूर्ति राशि का सम्बन्धित अपीलार्थी को भुगतान कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही हो सके, इसके लिये सम्बन्धित लोक प्राधिकरणों को पत्र लिखे गये हैं। प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव को शास्ति राशि जमा कराने के संबंध में त्वरित कार्यवाही हेतु समय—समय पर लिखा जाता रहा है।

साथ ही शास्ति एवं क्षतिपूर्ति की प्रभावी वसूली / अदायगी हेतु विभिन्न विभागों की ऑडिट के दौरान अंकेक्षण अनुच्छेद (audit para) के रूप में सम्मिलित किये जाने के क्रम में आयोग के सुझाव को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

आलोच्य वर्ष 2016–17 में अधिरोपित शास्ति एवं जमा राशि तथा लगाई गई क्षतिपूर्ति का विवरण :—

विवरण	अधिरोपित शास्ति	जमा शास्ति	लगाई गई क्षतिपूर्ति	भुगतान की गई क्षतिपूर्ति
1	2	3	4	5
अपील / परिवाद	43,21,250	23,93,476	47,000	11,000

नोट :— इस जमा शास्ति / क्षतिपूर्ति राशि में कमशः 5,13,500/- एवं 2,000/- वर्ष 2016–17 की है, शेष राशि पूर्व वर्षों की है।

अधिनियम का क्रियान्वयन

वर्ष 2005 में बने “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” के सम्पूर्ण देश में लागू हो जाने पर, राजस्थान ने अपने तत्सम्बन्धी नियम ‘राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005’ दिनांक 13.10.2005 को राजपत्र में प्रकाशित कर इसे प्रभावी बनाया। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.2006 को हुआ तथा दिनांक 18.04.2006 को प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री एम.डी.कौरानी ने पदभार संभाला। आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु रजिस्ट्रार, सचिव व प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति/पदस्थापन हुआ है। प्रशासनिक कार्य की समुचित व्यवस्था, परिवादों व अपीलों की प्राप्ति, सुनवाई व निर्णय प्रक्रिया के साथ ही लेखों का उचित संधारण व अन्य व्यवस्थायें आवश्यकतानुसार प्रारम्भ की गई। प्रारम्भ में आयोग कार्यालय हेतु हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जे० एल० एन० मार्ग, जयपुर के परिसर में अन्तरिम व्यवस्था की गई। आयोग के स्वतन्त्र भवन के निर्माण हेतु झालाना लिंक रोड पर हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान परिसर में राज्य सरकार द्वारा 2500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है जिस पर नवीन भवन निर्मित होने पर आयोग का कार्यालय दिनांक 19.06.2013 को यहां स्थानांतरित किया गया है।

राज्य सरकार व सूचना आयोग के प्रयासों के परिणामस्वरूप सचिवालय स्तर पर उप सचिवों/संयुक्त शासन सचिवों को अपने—अपने विभागों हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है तथा साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को उन पर अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। विभिन्न राजकीय विभागों हेतु भी लोक सूचना अधिकारीगणों व उनके अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। निगमों, मण्डलों व स्वायत्तशासी संस्थाओं हेतु वहां के महाप्रबन्धकों/प्रबन्धकों/सचिवों/निदेशकों को राज्य लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है, उनके अध्यक्षों/प्रबन्ध निदेशकों/प्रशासकों को अपीलीय प्राधिकारी बनाया गया है। नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों हेतु वहां के अधिशासी अधिकारी/आयुक्तगण लोक सूचना अधिकारी हैं, तो वहां के अध्यक्ष/सभापति/महापौर अपीलीय प्राधिकारी हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों/जिला परिषदों हेतु वहां के सचिव/विकास अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी हैं, तो सरपंच/प्रधान/जिला प्रमुख अपीलीय प्राधिकारी हैं। सहकारी बैंकों, सांस्कृतिक केन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों, शोध संस्थानों, राजकीय उपक्रमों तथा राज्य

सरकार द्वारा वित्त पोषित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकृत समस्त संस्थाओं हेतु लोक सूचना अधिकारियों व अपील प्राधिकारियों की नियुक्ति के आदेश प्रसारित किए गए हैं।

सभी सम्बन्धित अधिकारियों को ये भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपना नाम—पट्ट ऐसी मुख्य जगहों पर प्रदर्शित करें कि हर नागरिक को यह ज्ञान हो सके कि उसे कहां और किससे इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करनी है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने रिकार्ड को आदिनांक बनाकर उसका स्वयंमेव प्रकाशन करें व वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें ताकि सूचना चाहने वाले को कार्यालयों में चक्कर न लगाना पड़ें। कई विभागों ने विस्तृत पुस्तिकायें भी तैयार कर वितरित की हैं जो उनके विभाग के बारे में जनता को व्यापक सूचना उपलब्ध कराती हैं। धारा 4 के अन्तर्गत ऐसा प्रकाशन आवश्यक है। विभागाध्यक्षों के लिये नियमित रूप से यह भी आवश्यक है कि वे जानें कि उनके विभाग में समय—समय पर कितनी अपीलें/परिवाद आये, कितने निर्णीत हुए व कितने समयावधि निकल जाने के पश्चात् भी लम्बित हैं। यह जिम्मेवारी सचिव/विभागाध्यक्ष स्तर पर ही ली जानी होगी, नीचे के किसी अधिकारी पर इस विषयक निर्भरता व्यावहारिक नहीं होगी।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/लोक प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र, प्रथम अपील व उनके निस्तारण की स्थिति परिशिष्ट – 1 पर है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) में यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुगम बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुँच को सुगम बनाया जा सके।

धारा 4(1) (ख) लोक प्राधिकरणों से व्यापक किस्म की सूचनाओं को स्वैच्छिक रूप से प्रकाशन की मांग करता है, भले ही किसी ने विशिष्ट तौर पर उन सूचनाओं के लिए निवेदन न किया हो। आयोग द्वारा इसकी कियान्विति हेतु एवं प्रकट की गई सूचनाओं में एकरूपता लाने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग (नोडल विभाग) द्वारा प्रारूप (template) बनाकर सभी विभागों को प्रेषित किये गये हैं।

सूचना का अधिकार कानून पूरी तर्फ़ायता से लागू हो इसके लिये आवश्यक है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के बारे में आम नागरिकों को सहज सुलभ जानकारी हो। जिला कलेक्टर एवं प्रत्येक जिले का मुख्य कार्यालय होने तथा जिले के सभी कार्यालयों का व्यावहारिक रूप से समन्वयक कार्यालय होने के कारण उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। इस दिशा में सूचना का अधिकार की जिला निर्देशिका का प्रकाशन महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। जिला कलेक्टरों से अपेक्षा की जाती है कि वे जिला निर्देशिका बनावें। साथ ही इस निर्देशिका को सालाना अद्यतन (up-date) करने का सामान्य कार्यालयी अभ्यास बना लें।

प्रत्येक राज्य लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में लोक सूचना के आवेदनों की प्राप्ति, निस्तारण एवं अन्य पत्राचार आदि के संधारण का समुचित अभिलेख संधारित होना चाहिये। लम्बित अपीलों व द्वितीय अपीलों/परिवादों आदि में हुये निर्णयों का समुचित अभिलेख भी संधारित होना चाहिये।

सूचना का अधिकार अधिनियम आने के उपरांत वर्षों से व्याप्त गोपनीयता का तानाबाना लिये अधिकारियों की सोच में परिवर्तन आ रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम आने के पश्चात् इस अल्प समय में प्रार्थना पत्रों के निपटारे, अपीलों के निपटारे से तथा आयोग के समक्ष पेश अपीलों और शिकायतों को देखते हुये कहा जा सकता है कि अधिनियम की कियान्विति संतोषजनक है।

अध्याय – 4

संप्रेक्षण

सूचना का अधिकार अधिनियम जून, 2005 में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू हुआ। इसके पश्चात लगभग बारह वर्ष का समय यह अधिनियम देख चुका है। सूचना आयोग स्तर पर आम नागरिकों, अधिकारीगणों व संस्थाओं के प्रतिनिधिगणों के बीच परिवारों/अपीलों की सुनवाई के दौरान तथा बैठकों व अन्य अवसरों पर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों व इसमें निहित व्यवस्थाओं, कठिनाईयों व समस्याओं पर विचारों का आदान–प्रदान होता रहा है। इन्हीं चर्चाओं के दौरान जो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :—

1. अधिनियम के बारे में आम जनता में सामान्य तौर पर एक सकारात्मक सोच व सापेक्ष अवधारणा है। इसे लेकर जनता में नई अपेक्षाएँ व आशाएँ भी जागी हैं। जनता इस अधिनियम को उनके विभिन्न सरकारी विभागों व संगठनों के बीच आने वाली दैनन्दिन समस्याओं के समाधान की एक कड़ी के रूप में देख रही है।
2. समय के साथ–साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सूचनाओं की माँग कर रहे हैं।
3. सूचना चाहने वालों को सामान्यतया इस सीमा तक सूचना प्रदत्त कराई जा रही है, जहाँ तक वह चलित पत्रावलियों में उपलब्ध है।
4. सूचना के अधिकार के विषय में अभी जनता को और जागरूक करने की आवश्कता है। इस हेतु कुछ अधिक प्रयास करने होंगे और यह आश्वस्त करना होगा कि साधारण जनता इस अधिनियम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके व लाभ उठावे। इस दिशा में राजकीय स्तर पर और विशेष प्रयास किये जाने चाहिये।
5. राज्य सरकार को इस प्रक्रिया में हर विभागीय स्तर पर लोक सूचना अधिकारीगण की नियुक्ति के बिन्दु पर आश्वस्त होकर यह देखना होगा कि ऐसा प्रत्येक अधिकारी इस क्षेत्र में पूर्णतया प्रशिक्षित भी हो। लगभग बारह वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अभी हर वांछित स्तर पर लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित नहीं हुआ है। उनकी नियुक्ति से लेकर उनका व्यावहारिक रूप से पूर्णतया प्रशिक्षित होना तथा अन्त में उनकी मानसिकता में इस विषय का सापेक्ष रूप से समावेश होना आज की पहली आवश्यकता है।
6. राज्य के अनेक लोक सूचना अधिकारीगण तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर तक, जिनका इस अधिनियम के अन्तर्गत कदम उठाने व कार्यवाही करने से संबंध है, इस अधिनियम सम्बन्धी विधिक पुस्तक / पुस्तिकाएँ, साहित्य व अन्य प्रकाशित सामग्री नहीं पहुँच पाई है जिसके अभाव में उनका इस विषय का आदिनांक तक ज्ञान अधूरा सा है। इस हेतु तुरन्त व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
7. यह भी पाया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जिन लोक सूचना अधिकारीगण से आवश्यक कदम उठाने या कार्यवाही करने की अपेक्षा है, वे इस विषय में स्वयं उचित ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सामान्यतया वे इस कार्य को अपने कार्यालय लिपिकों के भरोसे छोड़ रहे हैं जिन्हें विषय की विधिक बारीकियों का वह ज्ञान नहीं होता, जिसकी इस प्रकार की अर्द्ध न्यायिक प्रक्रियाओं हेतु आवश्यकता होती है। राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी नोटिस पर भी लोक सूचना अधिकारीगण सुनवाई के समय स्वयं उपस्थित नहीं होकर अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद

- स्थिति में सुधार नहीं आ रहा है। अतः इस मामले में गंभीरता बरतने की आवश्यकता है।
8. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी राज्य लोक सूचना अधिकारी से ज्येष्ठ पंक्ति का होता है। व्यवहार से देखने में आया है कि कुछ लोक प्राधिकरणों में पर्याप्त संख्या में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त नहीं हैं। अन्य राजकार्यों में व्यस्तता के कारण ऐसे प्राधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रथम अपीलों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते हैं जिस कारण प्रथम अपीलों में उनके द्वारा दिये जाने वाले निर्णय प्रायः गुणवत्तापूर्ण नहीं होते हैं अथवा उनका निस्तारण निर्धारित समय—सीमा के अन्दर नहीं हो रहा है। साथ ही प्रथम अपीलों में पारित निर्णयों की समुचित क्रियान्वित नहीं होने से अपीलार्थी को विवश होकर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपीलें/परिवाद दायर करने पड़ रहे हैं। चूंकि प्रथम अपील अधिकारी लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ है। अतः प्रथम अपील का समय पर निर्णय एवं उनके निर्णय की पालना करवायी जाना विभागीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।
 9. राज्य सरकार के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम हेतु नोडल विभाग का दायित्व प्रशासनिक सुधार विभाग को दिया गया तथा इसके समुचित पर्यवेक्षण व मोनिटरिंग हेतु इस विभाग में एक डेडीकेटेड सैल भी गठित किया गया है, जो अधिनियम की क्रियान्विति में आवश्यक सहयोग प्रदान कर रहा है। इस डेडीकेटेड सैल का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। इस सैल द्वारा सभी जिलों में जिला कलक्टर कार्यालय में समय—समय पर जिले के अधिकारियों (राज्य लोक सूचना अधिकारी/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी) की बैठक रखी जावे। बैठक में अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की क्रियान्विति के विषय में अधिनियम के प्रावधानों/भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देशों की जानकारी देकर उनकी कठिनाईयों व शंकाओं का समाधान आपसी विचार विमर्श के द्वारा किया जावे जिससे उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने में सहायता प्राप्त हो व इस कार्य में उनकी मानसिकता में परिवर्तन हो सके। यह सैल निरीक्षण व समीक्षा का कार्य भी करेगा। प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाईट पर सूचना का अधिकार अधिनियम के विषय में कोई जानकारी अधिकारियों/आमजन के लिये उपलब्ध नहीं थी। विभाग ने वेबसाईट पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के साथ—साथ राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देशों/परिपत्रों को उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त अपील प्राधिकारी व लोक सूचना अधिकारियों के उपयोगार्थ “हस्तपुस्तिका” तैयार कर उसे भी उपलब्ध कराया गया तथा यह कार्य निरन्तर किया जा रहा है जिससे अधिकारीगण अधिनियम की भावना के अनुरूप उचित रूप से कार्य कर सकें।
 10. अधिनियम की धारा – 4 (1) में यह प्रावधान है कि हर लोक प्राधिकरण न सिर्फ अपने रिकॉर्ड का उचित संधारण करेगा, बल्कि यह भी कि वह उसका स्वैच्छिक रूप में प्रकाशन कर इसे जनता को अवलोकनार्थ उपलब्ध करावेगा। प्रावधान की पालना में अनेकों विभागों ने अपनी “वेबसाईट” पर कुछ सूचनाएँ उपलब्ध कराई हैं। परन्तु अभी तक स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है क्योंकि प्रथम तो आम आदमी से जुड़ी अनेक बातों का इन ‘वेबसाईट्स’ में समावेश नहीं हो पाया है और दूसरे, इन्हें समय समय पर आदिनांक (अपडेट) करने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। तीसरे, अनेक सूचनाओं को निर्धारित छपे हुए रूप में फार्म में प्रकाशित एवं वितरित नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप जो कुछ बन कर तैयार भी हुआ है वह पत्रावलियों के भीतर ही सिमट कर रह गया है, जानकारी हेतु खुले में नहीं आ पाया है। धारा 4(1) के तहत स्वैच्छिक पारदर्शिता के प्रति सरकारी विभाग अधिक सकारात्मक सक्रिय रहेंगे तो सूचना का अधिकार कानून के प्रयोग की आवश्यकता ही न्यून होगी। इससे पारदर्शिता से सुशासन का उद्देश्य स्वयंमेव ही पूर्ण होगा।
 11. अधिनियम की धारा 2 (ज)घ(ii) में उल्लिखित “गैर सरकारी संगठन” जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः

सारभूत रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित हैं, वे इसमें प्रावधित व्यवस्थाओं से बंधे हैं। व्यावहारिक रूप में ऐसी अनेक संस्थाएँ हैं जो सरकारी सहायता प्राप्त कर रही हैं। इन संस्थाओं को भी अधिनियम के प्रावधानों की प्रभावी पालना करनी चाहिये।

12. यह कि विभागों द्वारा अपने—अपने “रिकॉर्ड्स” का सही रख—रखाव न रखे जाने के परिणामस्वरूप चाही गई सूचनाएँ उपलब्ध करा पाना कठिन हो रहा है और इसी बहाने बहुत सारे प्रार्थना—पत्रों पर सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने से इन्कार किया जा रहा है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपकरणों, बोर्ड, निगम, आयोग, समितियों आदि के अभिलेखों के सुरक्षित संधारण, प्रबन्धन आदि के लिये राजस्थान में भी भारत सरकार व अन्य कुछ राज्यों में प्रचलित पब्लिक रिकॉर्ड एकट की तरह राजस्थान स्टेट पब्लिक रिकॉर्ड एकट जैसे कानून शीघ्र बनाने का सुझाव है।

जैसे—जैसे समय आगे बढ़ रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम परिपक्वता की धारणा लिए हुए अधिकारियों व कर्मचारियों की मानसिकता में परिवर्तन हेतु परिलक्षित हो रहा है एवम् यह अधिकार उन्हें धरातल का अनुभव करा रहा है। जहाँ अधिकारियों की रिकॉर्ड पर पकड़ नहीं है वहाँ अधिकारीगण / कर्मचारीगण इसके लिए प्रयासरत हैं। भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम में गर्भित उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही व खुलापन में उत्तरोत्तर विकास होगा, जो प्रजातन्त्र के मुख्य उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल होगा।

13. राजस्थान राज्य सूचना आयोग में मानव संसाधन पर्याप्त नहीं है जिसका प्रभाव इसकी कार्यशैली पर पड़ता है। आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व तीन राज्य सूचना आयुक्त सहित कुल 75 पद स्थीकृत है। इनमें से 65 पदों पर अधिकारी / कर्मचारी कार्यरत हैं जिसमें 11 स्थायी एवं 54 सेवानिवृत्त / संविदा आधार पर हैं। अवशेष पद रिक्त हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम—2005, की धारा 16(6) के अन्तर्गत प्रावधान है कि राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों। अतः आयोग में बढ़ते कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रभावी कार्य किये जाने हेतु राज्य सरकार को आयोग में कार्मिकों की भर्ती हेतु विशेष भर्ती नियम बनाने हेतु सुझाव दिनांक 15.01.2013 को प्रेषित किये गये हैं जो कि राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। इनका शीघ्र अनुमोदन राज्य सरकार से अपेक्षित है। साथ ही अंतरिम काल में राज्य सरकार द्वारा रिक्त पदों पर नियमित अधिकारियों / कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिये जिससे आयोग का काम सुगमता से संचालित हों।

14. आयोग द्वारा द्वितीय अपीलों / परिवादों में आरोपित शास्ति को जमा कराने की प्रगति अत्यन्त धीमी है। विभागों / लोक प्राधिकरणों से बार—बार पत्राचार करना पड़ता है जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(7) के अन्तर्गत आयोग के आदेश बाध्यकारी हैं। प्रत्येक कार्यालय में लोक सूचना अधिकारियों के पर्यवेक्षणीय अधिकारियों (Supervisory officers) से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समीक्षा बैठकों में सूचना का अधिकार अधिनियम के बिन्दुओं को समीक्षा एजेण्डा में शामिल करें। इसके लिये प्रत्येक कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम का लेखा—जोखा रजिस्टर संधारित करने से समीक्षा की सहूलियत रहेगी। साथ ही कार्यालय द्वारा अपीलों के जवाब आदि में भी अवांछित विलम्ब से बचा जा सकेगा। सभी लोक प्राधिकरणों को आयोग द्वारा अधिरोपित क्षतिपूर्ति की राशि स्वतः शीघ्र जमा कराया जाना एवं अधिरोपित शास्ति राशि सम्बन्धित दोषी राज्य लोक सूचना अधिकारी से वसूल कर आयोग में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

सूचना हेतु प्राप्त आवेदन एवं उनके निस्तारण का विवरण

(वर्ष 2016-17)

प्रपत्र—क

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन			प्रदत्त सूचना				वर्ष 2016-17 में प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
		कुल संख्या	जिला मुख्यालय स्तर पर प्राप्त	अन्य	समयावधि में	समयावधि बाट	अस्वीकृत	शेष	
1	राजस्व मण्डल, अजमेर	540	529	11	523	17	0	0	8369
2	समेकित बाल विकास विभाग	843	423	420	806	4	14	19	10579
3	विभागीय जांच विभाग	7	7	0	7	0	0	0	70
4	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	3208	2339	869	2633	282	119	174	97778
5	आयुर्वेद विभाग	815	659	156	727	78	3	7	15141
6	गृह विभाग	48410	35389	13021	44470	438	2177	1325	1304560
7	वित्त विभाग	10481	9157	1324	10229	95	96	61	317999
8	पर्यावरण विभाग	48	48	0	47	0	1	0	562
9	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	1006	837	169	937	57	7	5	8390
10	अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग	519	497	22	371	82	66	0	7605
11	जयपुर विकास प्राधिकरण	11116	10826	290	4801	3337	1290	1688	1432313
12	ग्रामीण विकास विभाग	82	82	0	82	0	0	0	330
13	राज0 राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल	19	19	0	19	0	0	0	1044
14	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	993	993	0	762	224	0	7	10280
15	राज0 राज्य मानवाधिकार आयोग	169	169	0	159	0	10	0	2233
16	राज0 शिक्षा कर्मी बोर्ड	4	4	0	4	0	0	0	40
17	राजस्थान निर्वाचन आयोग	80	80	0	80	0	0	0	1502
18	आयोजना विभाग	144	138	6	102	39	3	0	1349
19	एच.सी.एम. रीपा	21	18	3	21	0	0	0	422
20	विधि एंव विधिक कार्य विभाग	244	244	0	168	17	59	0	2790
21	उर्जा विभाग	11359	9737	1622	8146	1603	0	1610	181136
22	उद्योग विभाग	4412	2754	1658	4161	87	80	84	244680
23	जल संसाधन विभाग	2383	2025	358	2135	112	136	0	170663
24	तकनीकी शिक्षा विभाग	1037	714	323	975	60	2	0	34033
25	राजभवन, जयपुर	288	288	0	288	0	0	0	4081
26	सामान्य प्रशासन विभाग	288	164	124	258	5	14	11	2879
27	राजस्थान लोक सेवा आयोग	6026	6026	0	2554	1221	1047	2041	18899
28	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	92	68	24	71	19	2	0	590
29	सहकारिता विभाग	2989	2924	65	2767	146	26	50	168637
30	राजस्थान आवासन मण्डल	2986	2668	318	2916	2	29	39	89365
31	कृषि विभाग	2227	1685	542	2094	62	35	36	108544

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन			प्रदत्त सूचना				वर्ष 2015-16 में प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
		कुल संख्या	जिला मुख्यालय स्तर पर प्राप्त	अन्य	धैर्य सम्बन्धीय	सम्बन्धीय बाट	अस्वीकृत	शेष	
32	सार्वजनिक निमाण विभाग	4733	3120	1613	4318	229	65	121	127763
33	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	30	30	0	29	0	0	1	1436
34	नगर निगम, जयपुर	4263	4117	146	2259	1029	597	378	47499
35	श्रम एवं नियोजन विभाग	170	130	40	148	17	3	2	2561
36	पर्यटन विभाग	77	65	12	53	24	0	0	820
37	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	1244	1034	210	1057	57	2	128	13441
38	राजस्थान राज्य सूचना आयोग	874	874	0	790	40	44	0	13878
39	उच्च शिक्षा विभाग	1554	1315	239	1278	193	16	67	35268
40	देवस्थान विभाग	807	673	134	728	47	21	11	14755
41	वन विभाग	3759	3482	277	3048	347	134	230	97118
42	निर्वाचन विभाग	930	707	223	892	1	29	8	17512
43	राजस्थान राज्य महिला आयोग	107	107	0	107	0	0	0	5317
44	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	30	30	0	30	0	0	0	576
45	कर्मिक विभाग	1450	1450	0	1408	16	25	1	17123
46	चिकित्सा शिक्षा विभाग	2950	2599	351	2507	353	58	32	466597
47	संस्कृत शिक्षा विभाग	308	247	61	306	2	0	0	11393
48	परिवहन विभाग	7985	7452	533	7389	200	41	355	97742
49	कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	561	476	85	402	151	2	6	9266
50	सम्पदा विभाग	39	10	29	39	0	0	0	3997
51	पशुपालन विभाग	459	428	31	272	158	8	21	10634
52	सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग	192	167	25	188	0	2	2	13908
53	उद्यान निदेशालय	310	252	58	291	3	2	14	59273
54	आवासीय आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली	4	4	0	4	0	0	0	20
55	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	3253	2952	301	2953	64	136	100	52420
56	सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय	312	279	33	302	0	0	10	14068
57	कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग	43	38	5	40	3	0	0	470
58	युवा मामले एवं खेल विभाग	82	82	0	31	33	0	18	820
59	लोकायुक्त सचिवालय	702	702	0	702	0	0	0	14097
60	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	8915	6890	2025	7143	1250	287	235	135470
61	शिक्षा विभाग	16810	14606	2204	11414	3271	385	1740	163243
62	प्रशासनिक सुधार विभाग	880	880	0	873	3	3	1	9677
63	सैनिक कल्याण विभाग	103	35	68	103	0	0	0	870
64	जन अभियोग निराकरण विभाग	136	136	0	136	0	0	0	440
65	उपनिवेशन विभाग	701	439	262	674	0	27	0	10948
66	आयुक्तालय महिला अधिकारिता	161	117	44	157	0	2	2	820
67	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल	299	299	0	211	88	0	0	9001
68	स्वायत्त शासन विभाग	18378	14437	3941	11432	4591	980	1375	339514
	योग	196447	162172	34275	157027	20157	8085	11178	6166618

अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील एवं उनका निस्तारण

(वर्ष 2016-17)

प्रपत्र — ख

क्र.	विभाग / लोक प्राधिकारण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णीत		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व मण्डल, अजमेर	62	27	30	5
2	समेकित बाल विकास विभाग	129	108	20	1
3	विभागीय जांच विभाग	1	0	1	0
4	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	353	327	22	4
5	आयुर्वेद विभाग	62	44	17	1
6	गृह विभाग	2420	607	1712	101
7	वित्त विभाग	765	622	134	9
8	पर्यावरण विभाग	3	0	3	0
9	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	172	107	65	0
10	अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग	34	12	22	0
11	जयपुर विकास प्राधिकरण	1468	709	703	56
12	ग्रामीण विकास विभाग	0	0	0	0
13	राज0 राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल	1	1	0	0
14	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	70	0	70	0
15	राज0 राज्य मानवाधिकार आयोग	11	9	0	2
16	राज0 शिक्षा कर्मी बोर्ड	4	4	0	0
17	राजस्थान निर्वाचन आयोग	4	0	4	0
18	आयोजना विभाग	6	0	6	0
19	एच.सी.एम. रीपा	2	2	0	0
20	विधि एंव विधिक कार्य विभाग	35	11	24	0
21	उर्जा विभाग	1352	861	265	226
22	उद्योग विभाग	213	74	100	39
23	जल संसाधन विभाग	224	118	106	0
24	तकनीकी शिक्षा विभाग	96	77	19	0
25	राजभवन, जयपुर	28	3	25	0
26	सामान्य प्रशासन विभाग	48	37	11	0
27	राजस्थान लोक सेवा आयोग	706	98	531	77
28	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	2	2	0	0
29	सहकारिता विभाग	234	233	1	0
30	राजस्थान आवासन मण्डल	207	58	83	66
31	कृषि विभाग	112	93	4	15
32	सार्वजनिक निमाण विभाग	381	344	30	7

क्र.	विभाग / लोक प्राधिकारण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णीत		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
33	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	3	2	1	0
34	नगर निगम, जयपुर	681	160	0	521
35	श्रम एवं नियोजन विभाग	71	45	12	14
36	पर्यटन विभाग	3	3	0	0
37	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	91	70	8	13
38	राजस्थान राज्य सूचना आयोग	120	30	90	0
39	उच्च शिक्षा विभाग	327	312	15	0
40	देवरस्थान विभाग	130	88	42	0
41	वन विभाग	368	241	114	13
42	निर्वाचन विभाग	115	47	34	34
43	राजस्थान राज्य महिला आयोग	0	0	0	0
44	जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	1	0	0
45	कार्मिक विभाग	184	184	0	0
46	चिकित्सा शिक्षा विभाग	266	150	87	29
47	संस्कृत शिक्षा विभाग	29	23	5	1
48	परिवहन विभाग	628	604	24	0
49	कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	31	28	2	1
50	सम्पदा विभाग	3	3	0	0
51	पशुपालन विभाग	43	38	4	1
52	सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग	12	4	8	0
53	उद्यान निदेशालय	0	0	0	0
54	आवासीय आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली	0	0	0	0
55	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	364	221	113	30
56	सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय	86	86	0	0
57	कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग	0	0	0	0
58	युवा मामले एवं खेल विभाग	8	3	2	3
59	लोकायुक्त सचिवालय	70	7	63	0
60	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	1306	1087	216	3
61	शिक्षा विभाग	2039	1378	384	277
62	प्रशासनिक सुधार विभाग	47	24	23	0
63	सैनिक कल्याण विभाग	2	2	0	0
64	जन अभियोग निराकरण विभाग	7	7	0	0
65	उपनिवेशन विभाग	84	69	15	0
66	आयुक्तालय महिला अधिकारिता	9	9	0	0
67	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल	56	56	0	0
68	स्वायत्त शासन विभाग	1990	884	767	339
	योग	18379	10454	6037	1888

विभाग / लोक प्राधिकरण जिनसे आंशिक / अपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है (वर्ष 2016-17)

प्रपत्र – ग

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन			प्रदत्त सूचना				वर्ष 2016-17 में प्राप्त राजस्व
		कुल संख्या	जिला मुख्यालय स्तर पर प्राप्त	अन्य	समयावधि में	समयावधि के बाद	अस्वीकृत	शेष	
1	नगरीय विकास विभाग (स्वायत्त शासन विभाग को छोड़कर)	1705	1705	0	1571	92	32	10	41347

प्रथम अपील

क्र.सं.	विभाग / लोक प्राधिकरण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णित		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	नगरीय विकास विभाग (स्वायत्त शासन विभाग को छोड़कर)	135	86	49	0

विभाग / लोक प्राधिकरण जिनसे सूचना प्राप्त नहीं हुई है

(वर्ष 2016-17)

प्रपत्र – घ

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन			प्रदत्त सूचना				वर्ष 2016-17 में प्राप्त राजस्व
		कुल संख्या	जिला मुख्यालय स्तर पर प्राप्त	अन्य	समयावधि में	समयावधि के बाद	अस्वीकृत	शेष	
1	खान एवं पेट्रोलियम विभाग								
2	राजस्व विभाग								
3	पंचायतीराज विभाग								

**यथेमां वाचं कल्याणीम् - आवदानि जनेभ्यः
(यजुर्वेद)**

अर्थात्

यह जानकारी मैं जन-जन को दूँगा
क्योंकि यही हितकारी होगा ।

समोऽतं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः

श्रीमद्भगवतगीता

अर्थात्

मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ।
मैं सभी के लिये सम्भाव हूँ।



